न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील सं0–98/2012/75 एलआर एक्ट

1. नूरअहमद पुत्र गुलामबैस जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 37 एनजीसी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रमजान मोहम्मद पुत्र गुलामबैस जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 37 एनजीसी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27.10.2004 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्र0सं. 51/2004 प्रकरण चक 19 एफटीपी तहसील संगरिया

उपस्थित :–
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांटस
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–04.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाधीन भूमि चक 19 एफटीपी प.न. 161/248 कि.न. 11, 20, 21 का 0.19 है0, 22, प.न. 160/248 कि.न. 7 ता 9, 12 ता 17, 18 का 0.177 है0, 19 का 0.063 है0, 24 का 0.063 है0 व 25 का 0.127 है0, प.न. 161/249 कि.न. 2 का 0.19 है0 कुल 3.846 है0 यानि 15.04 बीघा भूमि हेतु एक पत्र रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि कोठी महकमा नहरी विभाग के नाम से दर्ज थी जिसे तहसीलदार के आदेश क्रमांक 94 तारीख 15.01.82 के द्वारा जरिये इंतकाल सं. 33/06.11.82 को आराजी राज दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पूर्व मे कोठी सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज थी तथा अपने पत्र मे यह भी कथन किया कि उक्त भूमि वर्ष 84–85 से लेकर सन् 1991–92 तक गुलामबैस को टीसी पर आवंटन होकर नवीनीकरण होता रहा था गुलाब बैस की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके पुत्रो अपीलांट व नूरजमाल को टीसी पर अलॉट होकर नवीनीकरण होता रहा था। इस प्रकार उक्त भूमि मे से कुछ रकबा हाड़ा रोडी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के रूप मे विचारण न्यायालय के जरिये क्रमांक 1430 दिनांक 18.12.97 के अनुसार मुरब्बा नं. 66 कि.न. 2 का 0.190 है0 भूमि अलॉट कर दी गई जिसका इंतकाल नं. 161 दिनांक 20.12.97 को हो गया। उक्त भूमि जो कि कोठी महकमा के नाम दर्ज थी। वह कोठी महकमा के नाम ही दर्ज रहनी चाहिए थी। उक्त रकबा को रकबाराज दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर वापिस कोठी महकमा के नाम दर्ज किया जावें जिस पर विचारण न्यायालय ने तहसीलदार राजस्व संगरिया के तथ्यों को मानते हुए और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए जमाबंदी दुरूस्ती करने का आदेश देते हुए राजस्व रिकार्ड मे उक्त विवादित भूमि 3.656 है0 को आराजीराज काबिले काश्त के स्थान पर जमाबंदी पर दुरूस्ती करते हुए आदेश देते हुए उक्त भूमि कोठी महकमा नहर गैर मुमकिन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृ तीय पक्षकार प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अपीलांट के पिता जब जीवित थे तब से उक्त भूमि टीसी पर अपीलांट के पिता गुलामबैस को अलॉट होती रही। गुलामबैस की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलांट व अपीलांट के अविवाहित भाई नूरजमाल तीनो को अलॉट होती रही। नूरजमाल दिनांक 02.03.1998 को फौत हो गया उसके बाद उक्त भूमि मात्र अपीलांट को टीसी पर अलॉट होती रही। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि पर साधिकार कानूनी हैसियत से काबिज थे व आज भी काबिज है अपीलांट टैसपासर की तारीफ मे नही आते है। अपीलांट को इस भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए था जबकि अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया और कोई जवाबदेही व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर बतौर टीसी होल्डर के रूप मे काबिज थे और टीसी होल्डर टैसपासर नही होता है। उक्त भूमि 9.918 है0 थी जिसमे से बकाया भूमि अन्य लोगो को पुख्ता अलॉट की गई है लेकिन अपीलांट को अलॉट नही गई। अपीलांट द्वारा अलॉटमेंट

का प्रार्थना पत्र तहसील संगरिया मे आवंटन अधिकारी को पेश किया हुआ है। उक्त भूमि आवंटन का प्रथम अधिकार कानून के अनुसार अपीलांट का बनता है।

4. अपीलांट राजस्थान के मूल निवासी है तथा अपीलांट आवंटन की तमाम शर्तो को पूर्ण करते है। उक्त भूमि जब अपीलांट के कब्जा से लगतार 1984 से टीसी पर चली आ रही थी जो अब टीसी पर नही दी गई तथा अपीलांट का कब्जा होते हुए भी उक्त निर्णय अपीलांट को बिना सुने बिना बताये कोई कानूनी कार्यवाही किये बिना कोई नोटिस दिये जो न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। उक्त भूमि सिंचाई विभाग द्वारा सरैन्डर कर दी गई थी जिसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा पत्र भी तत्कालीन जिला कलैक्टर महोदय गंगानगर को सन् 1981 मे ही जारी कर दिये गये थे और उक्त भूमि सरैन्डर करने के बाद जब एक बार सरैन्डर कर दी गई तो पुनः उस भूमि को सरैन्डर कर्ता को वापिस देने का कोई प्रावधान नही है। वादग्रस्त भूमि जब कोठी महकमा नहर के द्वारा आवश्यकता इस भूमि की उनको न होने के कारण और इसका उपयोग कभी भी कोठी महकमा के रूप मे न किये जाने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा यह भूमि जब सरैन्डर कर दी गई और उसके आधार पर इंतकाल सं. 33 दिनांक 06.11.82 को रकबाराज के रूप मे दर्ज कर दिया गया तो यह भूमि राजस्थान टिनैंसी एक्ट के तहत सरैन्डर के रूप मे राजस्थान सरकार मे निहित हो गई उसके बाद धारा 136 एलआर एक्ट के तहत यह भूमि जमाबंदी मे दुरूस्ती किये जाने के काबिल नही रहती। बल्कि राज्य सरकार मे ही निहित रहती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस अपीलाधीन आदेश मे पक्षकार नही था इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही रहा परन्तु अपीलांट का अपीलाधीन आदेश से हित प्रभावित हुये है। इसलिये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील ज्ञान से अन्दर मानी जावे तथा प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी स्वीकार अपील प्रस्तुत करने की

स्वीकृति प्रदान की जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि चक 19 एफटीपी प.न. 161/248 कि.न. 11, 20, 21 का 0.19 है0, 22, प.न. 160/248 कि.न. 7 ता 9, 12 ता 17, 18 का 0.177 है0, 19 का 0.063 है0, 24 का 0.063 है0 व 25 का 0.127 है0, प.न. 161/249 कि.न. 2 का 0.19 है0 कुल 3.846 है0 यानि 15.04 बीघा भूमि कोठी महकमा नहरी विभाग के नाम से दर्ज थी जिसे तहसीलदार के आदेश क्रमांक 94 तारीख 15.01.82 के द्वारा जरिये इंतकाल सं. 33/06.11. 82 को आराजी राज दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पूर्व मे कोठी सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज थी इस प्रकार उक्त भूमि मे से कुछ रकबा हाड़ा रोडी के रूप मे विचारण न्यायालय के जरिये क्रमांक 1430 दिनांक 18.12.97 के अनुसार मुरब्बा नं. 66 कि.न. 2 का 0.190 है0 भूमि अलॉट कर दी गई जिसका इंतकाल नं. 161 दिनांक 20.12.97 को हो गया। उक्त भूमि जो कि कोठी महकमा के नाम दर्ज थी। वह कोठी महकमा के नाम ही दर्ज रहनी चाहिए थी। उक्त रकबा को रकबाराज दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर वापिस कोठी महकमा के नाम दर्ज किया जावें जिस पर विचारण न्यायालय ने जमाबंदी दुरूस्ती करने का आदेश देते हुए राजस्व रिकार्ड मे उक्त विवादित भूमि 3.656 है0 को आराजीराज काबिले काश्त के स्थान पर जमाबंदी पर दुरूस्ती करते हुए आदेश देते हुए उक्त भूमि कोठी महकमा नहर गैर मुमकिन दर्ज करने का आदेश पारित किये गये है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत

करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन भूमि चक 19 एफटीपी प.न. 161/248 कि.न. 11, 20, 21 का 0.19 है0, 22, प.न. 160/248 कि.न. 7 ता 9, 12 ता 17, 18 का 0.177 है0, 19 का 0.063 है0, 24 का 0.063 है0 व 25 का 0.127 है0, प.न. 161/249 कि.न. 2 का 0.19 है0 कुल 3.846 है0 यानि 15.04 बीघा भूमि हेतु एक पत्र रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि कोठी महकमा नहरी विभाग के नाम से दर्ज थी जिसे तहसीलदार के आदेश क्रमांक 94 तारीख 15.01.82 के द्वारा जरिये इंतकाल सं. 33/06.11.82 को आराजी राज दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पूर्व मे कोठी सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज थी तथा अपने पत्र मे यह भी कथन किया कि उक्त भूमि वर्ष 84–85 से लेकर सन् 1991–92 तक गुलामबैस को टीसी पर आवंटन होकर नवीनीकरण होता रहा था गुलाब बैस की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके पुत्रो अपीलांट व नूरजमाल को टीसी पर अलॉट होकर नवीनीकरण होता रहा था। इस प्रकार उक्त भूमि मे से कुछ रकबा हाड़ा रोडी के रूप मे विचारण न्यायालय के जरिये क्रमांक 1430 दिनांक 18.12.97 के अनुसार मुरब्बा नं. 66 कि.न. 2 का 0.190 है0 भूमि अलॉट कर दी गई जिसका इंतकाल नं. 161 दिनांक 20.12.97 को हो गया। उक्त भूमि जो कि कोठी महकमा के नाम दर्ज थी। वह कोठी महकमा के नाम ही दर्ज रहनी चाहिए थी। उक्त रकबा को रकबाराज दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर वापिस कोठी महकमा के नाम दर्ज किया जावें जिस पर विचारण न्यायालय ने तहसीलदार राजस्व संगरिया के तथ्यों को मानते हुए और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए जमाबंदी दुरूस्ती करने का आदेश देते हुए राजस्व रिकार्ड मे उक्त विवादित भूमि 3.656 है0 को आराजीराज काबिले काश्त के स्थान पर जमाबंदी पर दुरूस्ती करते हुए आदेश देते हुए उक्त भूमि कोठी महकमा नहर गैर मुमकिन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे कोठी

महकमा नहरी के नाम से दर्ज थी जो इंतकाल सं. 33 दिनांक 06.11.1982 को रकबाराज दर्ज कर दी गई और रकबाराज होने के बाद उक्त भूमि अपीलांट को पिता गुलामबैस को बतौर टीसी पर अलॉट हुई तथा गुलामबैस की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलांटस को टीसी पर अलॉट हुई जिसका नवीनीकरण होता रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/04/1621 दिनांक 06.10.2004 से साबित है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट जो प्रश्नगत भूमि का टीसी होल्डर है, को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये वादग्रस्त भूमि कोठी महकमा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 51/2004 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे टीसी होल्डर अपीलांटस बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए तथा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को मध्यनजर रखते हुए साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र के निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि का अन्य किसी को आवंटन नही किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ